

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
मू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना  
अ धि धो ष णा

संख्या

डी0एल0ए0 शिवहर

/रा0 पटना दिनांक-

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत हुआ है कि ग्राम हरनाही, थाना नं0-158 राजस्व थाना शिवहर, परगना बाबरा चम्पारण, अंचल- शिवहर, थाना-शिवहर, जिला-शिवहर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सर्मक पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उमर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-हरनाही, के अंतर्गत 0.01 एकड़ भूमि अपेक्षित है, जो मानक माप के कमोवेश बी0/क0/धूर है, जो 0.01 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

खेसरा नं0 2008 अंश

थाना नं0-158 हरनाही का चौहददी निम्न प्रकार है।

उत्तर-खेसरा सं0-2008

दक्षिण-खेसरा सं0- 2008

पूरब-खेसरा सं0- 1981

पश्चिम-खेसरा सं0- 2005

यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 धारा 6 के उपबंधों के अधीन यथा बिहार अधिनियम 11961 द्वारा संशोधित उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा जिला मू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

जिला मू-अर्जन पदाधिकारी,  
शिवहर।

अपर समाहर्ता  
शिवहर।

समाहर्ता  
शिवहर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक:-

/डी0एल0ए0स0,

शिवहर ~~सं0~~ 1586/रा0 दिनांक:- 20-06-13

प्रतिलिपि:-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी0डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला मू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को उपलब्ध उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, शिवहर की अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला मू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-समाहर्ता, शिवहर/अपर समाहर्ता, शिवहर/ जिला मू-अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला मू-अर्जन पदाधिकारी,  
शिवहर।

अपर समाहर्ता  
शिवहर।

समाहर्ता  
शिवहर।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के अवर सचिव,